न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर,करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपालसिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–130 / 2020 प्रार्थना पत्र

1–श्री सत्यनारायण पिता श्री लालाराम लढा नि0 करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2–श्री प्रहलादराय पिता श्री लालाराम लढा निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा
3–श्री जगदीशचन्द्र पिता श्री सोहनलाल झंवर (महाजन) निवासी करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4–श्री इकबाल मौहम्मद पिता श्री अल्लाबेली रंगरेज (मुसलमान) उम्र वयस्क नि. करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा।

–––प्रार्थीगण।

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––––– विपक्षी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री कमेलश मेहता ––अधिवक्ता प्रार्थीगण।

:: निर्णय :: दिनांकः 05.10.2020

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद मनोहरपुरा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा जाटान भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 436 रकबा 3.00 बीघा, आ0 नं0 436 / 1 रकबा 2.00 बीघा, आ0नं0 437 रकबा 3.08 बीघा कुल किता–3 रकबा 8.08 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन एवं कृषि यंत्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु आ0नं0 438 मी के मध्य में से सुगमता से आया जा सकता है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता उपरोक्त रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी संख्या 01 की बिलानाम आराजी नम्बर 438 मी के मध्य में से 30 फीट चौड़ाई के रास्ते को रास्ते के रूप में कायम करा उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खाता कायम करा नक्शें में भी तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान करावे। इस हेतु प्रार्थीगण सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिये सदैव से तैयार एवं तत्पर है।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर विपक्षी को सुनवाई हेतु सम्मन नोटिस जारी किया। विपक्षी के सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा